भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 422
उत्तर देने की तारीखः 04.02.2025

राजस्थान में छात्रवृत्ति योजना

422. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) राजस्थान राज्य में प्रदान की जा रही छात्रवृत्तियों का जिलावार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या राजस्थान राज्य में कोई छात्रवृत्ति लंबित है या बंद कर दी गई है; और
(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बंद की गई छात्रवृत्तियों को कब तक पुन: शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): राजस्थान राज्य में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकरिता विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्‌वारा उपलब्ध कराई जा रही छात्रवृत्तियों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) से (ङ.): संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार छात्रवृत्ति जारी की जाती है। राजस्थान राज्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की कोई छात्रवृत्ति योजना बंद नहीं की गई है।

अनुबंध

लोक सभा में डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा पूछे गए दिनांक 04.02.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 422 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध

i. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

क्र.सं.	योजना/उप-योजना का नाम	पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की गई छात्रवृत्ति (रुपये करोड़ में)	
		सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राजस्थान
1.	अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	446.64	28.33
2.	अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	5476.22	147.13
3.	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति	88.57	निधियों का आवंटन राज्यवार नहीं किया जाता है
4.	अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा	83.84	निधियों का आवंटन राज्यवार नहीं किया जाता है
5.	अनुसूचित जातियों के लिए लक्षित क्षेत्र में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ)	81.59	12.86
6.	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	195.66	0.00
7.	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	988.45	0.00
8.	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए स्कूल में उच्च श्रेणी की शिक्षा	6.73	0.03
9.	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए कॉलेज में उच्च श्रेणी की शिक्षा	111.40	6.92
	कुल	**7479.10**	**195.27**

ii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 'दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति' नामक एक व्यापक योजना का का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसमें छह घटक जैसे मैट्रिक-पूर्व (कक्षा IX और X), मैट्रिकोत्तर (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा), उच्च श्रेणी की शिक्षा (शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा), राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (विदेशी

(विदेशी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिग्री/पीएचडी), दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एमफिल और पीएचडी), नि:शुल्क कोचिंग (समूह क और ख पदों के के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं और तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षाओं के लिए) शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान राज्य में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 3.51 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

iii) उच्चतर शिक्षा विभाग

उच्चतर शिक्षा विभाग कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की पीएम-यूएसपी योजना केंद्रीय क्षेत्र योजना (पीएम-यूएसपी-सीएसएसएस) को लागू कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान राज्य में उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा 16.04 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

iv). जनजातीय कार्य मंत्रालय

जनजातीय कार्य मंत्रालय राजस्थान राज्य सहित देश भर में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं अर्थात अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X), अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर की कक्षा), अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (उच्च श्रेणी), अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफएसटी) और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति का कार्यान्वयन कर रहा है।

****